दिनांक 29.07.2015 को आयोजित एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) की परियोजना संचालन समिति (PSC) की पंचम बैठक का कार्यवृत्त

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP) की संचालन समिति की पंचम बैठक दिनांक 29.07.2015 को पूर्वाह्न 11:00 बजे श्री एन॰ रविशंकर, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अध्यक्ष, परियोजना संचालन समिति की अध्यक्षता में मुख्य सचिव सभागार, देहरादून में सम्पन्न हुई। बैठक में उपस्थिति का विवरण एवं कार्यवृत्त निम्नवत है:-

उपस्थित सदस्यों /प्रतिनिधि एवं अधिकारियों का विवरण :-

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन, श्री राकेश शर्मा।
2. सचिव, जलागम/मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून, श्री आनन्द वर्धन।
3. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड के प्रतिनिधि श्रीमती रंजना काला, अपर प्रमुख वन संरक्षक (प्रशासन), वन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. परियोजना निदेशक, ILSP-PSWMD श्री कपिल लाल।
5. प्रमुख सचिव, कृषि के प्रतिनिधि, श्री सविन बंसल, अपर सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
6. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, श्री सी॰पी॰ मोहन।
7. निदेशक कृषि प्रतिनिधि डॉ॰ परमा राय, संयुक्त कृषि निदेशक, देहरादून।
8. उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद के प्रतिनिधि श्री अमित श्रीवास्तव, तकनीकी प्रबन्धक, उ॰जै॰उ॰प॰।
9. निदेशक, उद्यान, डॉ॰ बी॰एस॰ नेगी।
10. निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग परिसंघ के प्रतिनिधि श्री कमल कुमार रावत, D.V.I.O., खादी बोर्ड, देहरादून।
11. राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति के प्रतिनिधि श्री राजपाल सिंह टमटा, मुख्य प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक।
12. सहायक प्रबन्धक, नाबार्ड, श्री आलोक चौहान।
13. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक, श्री ए॰के॰ राजपूत।
14. श्री विरेन्द्र सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
15. मुख्य परियोजना निदेशक, CPCU-ILSP, श्री विजय कुमार।

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत कार्यरत तकनीकी संस्थाओं के प्रमुख/प्रतिनिधि :-

1. Executive Director, Appropriate Technology India(ATI) श्री कमल नयन बडोनी।
2. Secretary, Shri Bhuvneshwari Mahila Ashram श्री ज्ञान सिंह रावत।
3. Chairman, Asian Society for Entrepreneurship Education & Development (ASEED) के प्रतिनिधि श्री मायाधर साहू, नेशनल प्रोग्राम, कोऑर्डिनेटर, ASEED.
4. President, Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) श्री गोपाल सिंह चौहान।
5. Chief Executive, IFFDC के प्रतिनिधि डॉ॰ हरीश चन्द्र गेना, वरिष्ठ परियोजना प्रबन्धक, IFFDC तथा श्री आर॰के॰ द्विवेदी सहायक परियोजना प्रबन्धक, IFFDC.
6. Secretary, Himalayan Action Research Centre (HARC) के प्रतिनिधि श्री शैलेश पंवार, वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, HARC.
7. Director, Centre for Business & Enterpreurial Development Society (CBED) सुश्री रत्ना सिंह तथा श्री अनिल त्यागी नोडल अधिकारी, CBED.

उपरोक्त के अतिरिक्त परियोजना के प्रबन्धक व अधिकारी गणों द्वारा उक्त बैठक में प्रतिभाग किया गया।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा संचालन समिति की पंचम बैठक में अध्यक्ष महोदय की अनुमति से उपस्थित सभी सदस्यों का स्वागत करते हुये एजेन्डा के अनुसार बैठक की कार्यवाही प्रारम्भ की गयी। बिन्दुवार बैठक का कार्यवृत्त निम्नवत् है:-

कार्यसूची PSC: 5.01: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना संचालन समिति की दिनांक 03.02.2015 को आयोजित चतुर्थ बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि।

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना संचालन समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 03.02.2015 को सम्पन्न हुई चतुर्थ बैठक का कार्यवृत्त सदस्यगणों के समक्ष संज्ञानार्थ एवं अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया। सदस्यगणों द्वारा अवलोकन कर कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।

कार्यसूची PSC: 5.02 : एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की दिनांक 03.02.2015 को आयोजित परियोजना संचालन समिति की चतुर्थ बैठक में लिये गये निर्णयों के अनुपालन की स्थिति।

समिति के संज्ञान में लाया गया कि एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की परियोजना संचालन समिति की दिनांक 03.02.2015 को आयोजित चतुर्थ बैठक की कार्यसूची PSC: 4.08 पर ILSP के Restructuring के संबंध में ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन के शासनादेश संख्या 770/Sec.RD/Camp 2014 देहरादून दिनांक 24.12.2014 के पैरा–डी के अंतिम पैरा पर परियोजना क्षेत्र के विकासखण्डों एवं जनपदों से इनपुट लेते हुए Livelihood based infrastructure को ILSP परियोजना की Restructuring कर शामिल करने हेतु उल्लिखित निर्देशों के अनुपालन में ILSP की केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकई (CPCU) के स्तर से दिनांक 03.01.2015, 28.01.2015 व 27.03.2015 को ILSP परियोजना के अन्तर्गत 11 पर्वतीय जनपदों के जिला अधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी को पत्र प्रेषित किये गये जिस पर वंमान में उपलब्ध Infrastructure को उपयोग में लाने के सुझाव सभी संबंधित स्तरों द्वारा दिए गए। नये Infrastructure निर्माण के प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुए। उक्त बैठक के अन्य इंगित बिन्दुओं पर दिये गये निर्देशों पर तद्नुसार अग्रेत्तर कार्यवाही प्रगति पर है।

सदस्यगण उपरोक्त अनुसार अनुपालन की स्थिति से अवगत हुए।

कार्यसूची PSC: 5.03: एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना के वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) का अनुमोदन

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि दिनांक 03.02.2015 को परियोजना संचालन समिति की चतुर्थ बैठक में वर्ष 2015–16 हेतु रू॰142.75 करोड़ के सापेक्ष रू॰100.00 करोड़ का AWP&B रखे जाने हेतु अनुमोदन प्रदान किया गया।

इसी क्रम में सदस्यों को अवगत कराया गया कि माह अप्रेल 2015 मे मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं अपर मुख्य सचिव वित्त, उत्तराखण्ड शासन द्वारा परियोजना कार्यो की प्रगति की समीक्षा की गयी एवं वित्तीय वर्ष 2015–16 मे परियोजना के Mid Term Review को देखते हुये दिये हुए निर्देशों के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2015–16 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट को संशोधित करते हुये निम्नानुसार धनराशि रू॰151.32 करोड के प्रस्ताव पर आइफैड की सहमति प्राप्त की जा चुकी है :–

Component	AWPB 2015-2016		Financing Plan (000)			
Sub-Component	Units	Amount (000)	GoUK	IFAD	Banks	Bene
Food Security & Livelihood Enhancement	39097	755665	63457	650224		41983
Participatory Watershed Management	7730	490572	77692	364126		48753
Livelihood Finance - UPASaC	5264	235210	23063	16946	183750	11450
Project management	1202	31745	6975	24769		
TOTAL	**53293**	**1513192**	**171187**	**1056065**	**183750**	**102186**

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार रू॰151.32 करोड़ की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2015–16 का अवलोकन कर अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची **PSC: 5.04:** एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना की वित्तीय वर्ष 2014–15 की उपलब्धियों की आख्या।

वित्तीय वर्ष 2014–15 के संशोधित AWPB के Project Component में स्वीकृत Rs.35.00 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 31.03.2015 तक **रू०30.31 करोड़** की उपलब्धि को निम्नानुसार समिति के सदस्यों के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किया गया :-

Component	**RAWPB 2014-15**	**Achievement**	**% of achievement**
Sub-Component	**Amount (000)**	**Amount (000)**	**IFAD**
Food Security & Livelihood Enhancement			
Food Security & Scaling Up	97486	82,945.91	85.08
Access to Market	16435	8,924.35	54.30
Innovation Linkages	5300	1,807.07	34.10
Vocational Training	3650	2,672.12	73.21
Project Management Unit	48957	39,562.76	80.81
Sub Total	**171829**	**135,912.20**	79.10
Participatory Watershed Management			
Social Mobilisation	5700	6,415.90	112.56
Watershed & Village Development	17340	21,208.53	122.31
Food Security Enhancement Support	11925	21,041.37	176.45
Livelihood upscaling	1200		-
Institutional Strengthening	10975	9,909.63	90.29
Project Management WMD	52635	45,452.10	86.35
Sub Total	**99775**	**104,027.53**	104.26
Livelihood Finance – UPASaC			
Field Vehicles	660	307.80	46.64
Financial Initiatives	450	8.55	1.90
Risk Management	1700	885.10	52.06
Banking Initatives	3650	2,129.42	58.34
UPASaC & Bank Financing	54750	50,045.00	91.41
UPASaC Management	3241	2,282.28	70.42
Sub total	**64451**	**55,658.15**	86.36
Project Management			
Central Project Coordination Unit	1025	283.70	27.68
M&E and KM-UGVS	11485	6,209.70	54.07
M&E and Knowledge Management (WMD)	1435	992.35	69.15
Sub Total	**13945**	**7,485.75**	53.68
Grand Total	**350000**	**303,083.64**	86.60

समिति के संज्ञान में लाया गया कि उपरोक्त में परियोजना समिति जलागम प्रबन्ध निदेशालय (PS-WMD) द्वारा उनके घटक हेतु स्वीकृत बजट रू०10.121 करोड़ के सापेक्ष रू०10.502 करोड़ की उपलब्धि की गई है जो कि परियोजना के तीनों घटकों हेतु कुल स्वीकृत धनराशि के अन्तर्गत है।

वित्तीय वर्ष 2014–15 में PS-WMD द्वारा सहभागी जलागम प्रबन्धन मद में उपमदवार उपरोक्त तालिका अनुसार की गई उपलब्धि को समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

कार्यसूची PSC: 5.05: वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट (AWP&B) वर्ष 2015–16 के सापेक्ष किये गये **achievement** की अध्यावधि स्थिति।

सदस्यगणों को अवगत कराया गया कि वित्तीय वर्ष 2015–16 के AWP&B के Project Component में स्वीकृत रू०151.32 करोड़ के सापेक्ष दिनांक 24.07.2015 तक **रू०15.83 करोड़** की प्रगति की गई है। प्रगति का घटक व उपघटकवार विवरण निम्न प्रकार है–

Component	AWPB 2015-16	Achievement
Sub-Component	**Amount (000)**	**Amount (000)**
FOOD SECURITY & LIVELIHOOD ENHANCEMENT		
Food Security & Scaling Up	525348	89543
Access to Market	69505	2495
Innovation Linkages	34800	63
Vocational Training	53000	163
Project Management Unit	73012	12825
Sub Total	**755665**	**105092**
PARTICIPATORY WATERSHED MANAGEMENT		
Social Mobilisation	48475	9846
Watershed & Village Development	130000	19920
Food Security Enhancement Support	164267	1298
Livelihood upscaling	23500	-
Institutional Strengthening	48050	4307
Project Management WMD	76280	14029
Sub Total	**490572**	**49400**
LIVELIHOOD FINANCE - UPASaC		
Field Vehicles	230	-
Financial Initiatives	2160	-
Risk Management	2000	-
Banking Initatives	5300	349
UPASaC & Bank Financing	217000	-
UPASaC Management	8520	311
Sub Total	**235210**	**661**
PROJECT MANAGEMENT		
Central Project Coordination Unit	6000	298
M&E and KM-UGVS	16315	2246
M&E and Knowledge Management (WMD)	9430	608
Sub total	**31745**	**3152**
Grand Total	**1513192**	**158305**

समिति परियोजना की वित्तीय वर्ष 2015–16 में प्रथम त्रैमास की उपरोक्तानुसार प्रगति से अवगत हुई तथा स्वीकृत बजट के सापेक्ष समय अन्तर्गत उपलब्धि प्राप्त करने के निर्देश दिये गये। विशेष रूप से रेखीय विभाग/बोर्ड द्वारा क्रियान्वित किये जा रहे प्रोजेक्टस् की समयबद्ध प्रगति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र को उपलब्ध कराने के निर्देश समिति द्वारा दिये गये।

(कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS व परियोजना निदेशक, PS-WMD एवं प्रबन्ध निदेशक, UPASaC तथा समस्त संबंधित बोर्ड/रेखीय विभाग)

कार्यसूची PSC: 5.06: आयोजनागत मद में प्राप्त बजट के आहरण के संबंध में :

सदस्यगणों के संज्ञान में लाया गया कि वित्तीय वर्ष 2014–15 में ILSP परियोजना हेतु आयोजनागत मद में अवमुक्त धनराशि में से व्यय उपरान्त दिनांक 31.03.2015 को परियोजना (UGVS, PS-WMD & UPASaC) के पास रू०28.24 करोड़ की धनराशि उपलब्ध थी। उक्त धनराशि से वित्तीय वर्ष 2015–16 के AWP&B की गतिविधियों का क्रियान्वयन किया जा रहा है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में कोई धनराशि आयोजनागत मद में प्राप्त नहीं हुई है।

इसी क्रम में में यह भी संज्ञान में लाया गया कि आयोजनागत मद में प्राप्त बजट के आहरण के संबंध में समिति के संज्ञान मे लाना है कि सहायक आयुक्त/उपायुक्त (प्रशासन), ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड पौडी द्वारा पत्रांक 949/4–नाजिर /बजट/2015–16 दिनांक 9 जुलाई 2015 के माध्यम से अवगत कराया गया है कि वर्तमान मे महालेखाकार उत्तराखण्ड सरकार द्वारा उक्त कार्यालय को पी०एल०ए० खाता आबंटित कर दिया गया है। उक्त के क्रम मे उपरोक्त पत्रांक के माध्यम से अवगत कराया गया है कि परियोजनाओं की धनराशि का भुगतान सम्बंधित कार्यदायी संस्था, ठेकेदार आदि को पी०एल०ए० अथवा सीधे कोषागार से ई–पेमेन्ट से भुगतान कार्यदायी संस्था/ठेकेदार के बैंक खाते मे किया जायेगा। प्रत्येक दशा मे आहरित धनराशि को निदेशालय के पी०एल०ए० खाते मे आहरित कर रखा जायेगा अथवा सीधे कार्यदायी संस्था/ठेकेदार के बैंक खाते मे ई–पेमेन्ट से भुगतान किया जायेगा।

उपरोक्त पर समिति द्वारा चर्चा में संज्ञान लिया गया कि भारत सरकार/राज्य सरकार एवं आईफैड के मध्य निष्पादित Financing/Project Agreement के प्राविधानों के अनुरूप परियोजना का क्रियान्वयन सोसाइटी मोड में किया जा रहा है।

समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि परियोजना के क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार एवं आईफैड (IFAD) के मध्य परियोजना अनुबन्ध (Project Agreement) तथा भारत सरकार एवं आईफैड (IFAD) के मध्य वित्तीय अनुबन्ध (Financing Agreement) एवं विभिन्न क्रियान्वयन इकाई (UGVS, PSWMD, UPASaC) एवं राज्य सरकार के मध्य निष्पादित (Subsidiary Agreements) के फलस्वरूप उक्त PLA खाता संबंधी प्रक्रिया परियोजना में लागू नहीं की जा सकती। प्रदेश में अन्य परियोजनाओं हेतु भी उक्त प्रक्रिया लागू नहीं है। इस क्रम में अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन ने मुख्य सचिव महोदय से चर्चा उपरान्त Treasury के माध्यम के बजाय परियोजना को सीधे राज्य सरकार स्तर से परियोजना की केन्द्रीय समन्वयन इकाई (CPCU) को धनराशि अवमुक्त करने की प्रक्रिया लागू करने के निर्देश परियोजना के नोडल विभाग (ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन) को दिये गये। ताकि परियोजना के लक्ष्यों को समयबद्ध व समयान्तर्गत पूर्ण किया जा सके।

(कार्यवाही : सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन एवं सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन)

कार्यसूची PSC: 5.07: आईफैड सुपरविजन मिशन द्वारा दिनांक 06 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2015 के मध्य परियोजना का रिव्यू

आईफैड सुपरविजन मिशन द्वारा दिनांक 06 अप्रैल से 18 अप्रैल, 2015 के मध्य परियोजना के रिव्यू उपरान्त दिनांक 21 अप्रैल, 2015 को उपलब्ध कराये गये Aide Memoire में उल्लिखित Agreed Action बिन्दु समिति के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत किये गये।

समिति द्वारा Aide Memoire में उल्लिखित Agreed Action बिन्दुओं पर समयबद्ध अनुपालन के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS, परियोजना निदेशक, PS-WMD एवं प्रबन्ध निदेशक, UPASaC)

कार्यसूची PSC: 5.08: UGVS के अन्तर्गत परियोजना द्वारा व्यवसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से रोजगार पाये युवाओं सफल यात्रा पर अधारित उड़ान पत्रिका का विमोचन

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति के अन्तर्गत युवाओं को (जिसमें 60 प्रतिशत युवतियां है) व्यवसायिक प्रशिक्षण दिलाया गया। प्रशिक्षण के उपरान्त रोजगार पाये संबंधित युवाओं की सफल यात्रा का दस्तावेजीकरण कर उनको "उड़ान" के नाम से पुस्तक के रूप में संकलित किया गया है। उक्त पुस्तिका का अध्यक्ष महोदय द्वारा विमोचन किया गया।

उड़ान पुस्तिका का अवलोकन करने के उपरान्त समिति के सभी सदस्यों द्वारा युवाओं के रोजगार के इस प्रयास सराहना की गई। अध्यक्ष महोदय द्वारा संबंधित युवाओं एवं उनके अभिभावकों को बधाई एवं शुभकामनाएं प्रदान की गई तथा इस प्रकार से युवाओं को रोजगार से जोड़ने की पहल कर सरकारी नौकरी के पीछे दौड़ने की मानसिकता को बदलने में यह एक सराहनीय प्रयास है। पुस्तिका के विमोचन के समय अध्यक्ष महोदय द्वारा निम्नांकित निर्देश दिये गये :–

1. पुस्तिका का अंग्रेजी अनुवाद कर उक्त की प्रति आईफैड को प्रेषित की जाय।

   (कार्यवाही : प्रबन्धक–ज्ञान प्रबन्धन, UGVS)

2. इस पुस्तिका को राज्य सरकार की वेब साइट पर अपलोड किया जाय।

   (कार्यवाही : सूचना अधिकारी, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन)

3. पुस्तिका की एक प्रति सचिव, कौशल विकास भारत सरकार को प्रेषित की जाय।

   (कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS)

उपरोक्त के अतिरिक्त बैठक के अन्त में मुख्य सचिव महोदय द्वारा निम्न बिन्दुओं पर ध्यान देने के निर्देश दिये गये :–

1. समूह के संघों/फैडरेशन को सुदृढ़ करना परियोजा की सफलता के लिए आवश्यक है। उनमें लोकतांत्रिक व्यवस्था बेहतर हो ताकि परियोजना समाप्ति के बाद भी यह संघठन सुचारू रूप से चलते रहें।

   (कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS एवं परियोजना निदेशक, PS-WMD)

2. उपासक के लिए आवश्यक है कि ऐसी व्यवस्था सुगम की जाय जिससे वित्तीय संज्ञानता व शिक्षा परियोजना के अन्तर्गत जुड़े परिवारों में बढ़ सके। इसके अतिरिक्त लघु वित्त की उपलब्धता बैकों व अन्य वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से करायी जा सके।

   (कार्यवाही : मुख्य कार्यकारी अधिकारी, UPASaC)

3. राष्ट्रीय कार्यक्रम यथा नमामि गंगे, स्वच्छ भारत अभियान, सर्वशिक्षा अभियान, Skill Development Mission तथा माननीय मुख्य मंत्री जी की आदर्श ग्राम योजना, मेरा वृक्ष मेरा धन योजना आदि उक्त सभी योजनाओं से जुड़े विभाग व संस्थाओं के माध्यम से क्रियान्वयन के समय ILSP परि योजना में बनाये जा रहे सामुदायिक संगठनों को इनकी जानकारी दी जाय ताकि इन कार्यक्रमों की स्वीकारिता को बढ़ाया जा सके।

   (कार्यवाही : समस्त संबंधित विभाग व मुख्य परियोजना निदेशक, ILSP, मुख्य परियोजना निदेशक, JICA, मुख्य परियोजना निदेशक, WMD)

4. पर्यटन बोर्ड एवं उरेडा के साथ विचार–विमर्श कर उत्तराखण्ड के पारम्परिक घराटों के साथ निकटवर्ती स्थानों पर ईकोटूरिज्म के होम स्टे मॉडल की पायलेटिंग की जाय।

   (कार्यवाही : पर्यटन बोर्ड व उरेडा एवं ILSP परियोजना)

5. मिड–डे मिल स्कीम/ICDS में Nutritional Food Security का समावेश करते हुए परियोजना के फैडरेशन के माध्यम से कार्य कराने को विशेष वरियता दी जाय। ताकि पर्वतीय क्षेत्रों में उत्पादक समूहों के आय के साधन बढ़े एवं न्यूट्रीशन युक्त क्वालिटी उत्पाद की आपूर्ति उक्त केन्दों पर की जा सके।

   (कार्यवाही : महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग तथा परियोजना निदेशक UGVS)

N. Ravi Shankar

6. Rural Poverty (ग्रामीण निर्धनता) की रिपोर्ट का संज्ञान लेते हुए परियोजना क्षेत्र में आजीविका की गतिविधियों के क्रि यान्व्यन के उपरान्त सफलताओं के संकलन एवं पलायन रोकने संबंधी प्रभाव (Impact) का मूल्यांकन कराया जाय।

(कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS)

7. आईफैड, JICA, जलागम व हिमोत्थान द्वारा गतिविधियों में बिना Overlapping किये क्रियान्व्यन किया जाय। इन परियोजनाओं की गतिविधियों की जानकारी वेबसाइट के माध्यम से Knowledge हब के रूप में Public को उपलब्ध करायी जाय।

(कार्यवाही : मुख्य परियोजना निदेशक, ILSP, मुख्य परियोजना निदेशक, JICA, मुख्य परियोजना निदेशक, WMD व निदेशक, हिमोत्थान)

8. परियोजना संचालन समिति बैठक में मुख्य सदस्यों को ही आमंत्रित किया जाय।

(कार्यवाही : मुख्य परियोजना निदेशक, ILSP)

9. परियोजना अन्तर्गत कृषि एवं उद्यान विभाग द्वारा बीज मिनीकिट वितरण कार्य की Concurrent Monitoring & Evaluation राज्य सरकार के नियोजन विभाग से करा ली जाय।

(कार्यवाही : परियोजना निदेशक, UGVS एवं प्रमुख सचिव, नियोजन, उत्तराखण्ड शासन)

उपरोक्त के साथ ही मुख्य परियोजना निदेशक द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से सभी सदस्यों तथा उपस्थितगण प्रतिभागियों को धन्यवाद ज्ञापित कर बैठक सम्पन्न होने की घोषणा की गयी।

N. Ravi Shankar

(एन० रविशंकर)
मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन एवं
अध्यक्ष, परियोजना संचालन समिति,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना–ILSP

29/07/2015

(विजय कुमार)
मुख्य परियोजना निदेशक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (IFAD- ILSP)
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई (CPCU)
(ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
216, पंडितवाड़ी, फेज– II, देहरादून, उत्तराखण्ड, दूरभाष 0135–2773800

पत्रांक 65 /PSC-5 /2015–16 दिनांक 29/07/2015

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर मुख्य सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
2. अपर मुख्य सचिव/आयुक्त, वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन
3. प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास, उत्तराखण्ड शासन।
4. प्रमुख सचिव कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
5. प्रमुख सचिव, उद्यान, उत्तराखण्ड शासन।
6. प्रमुख सचिव, वन, उत्तराखण्ड शासन।
7. प्रमुख सचिव, पशुपालन, उत्तराखण्ड शासन।
8. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
9. सचिव, जलागम, उत्तराखण्ड शासन।
10. अपर सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तरराखण्ड शासन
11. प्रमुख वन संरक्षक, उत्तराखण्ड।
12. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।

13. परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड जलागम विकास इकाई।
14. प्रबन्ध निदेशक, उपासक।
15. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उपासक।

29/7/15
(विजय कुमार)
मुख्य परियोजना निदेशक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

पत्रांक 65 /PSC-5 /2015–16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्न को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. अपर प्रमुख वन संरक्षक / मुख्य कार्यकारी अधिकारी, उत्तराखण्ड बैम्बू एंव फाइबर विकास बोर्ड।
2. मुख्य परियोजना निदेशक, उत्तराखण्ड वन संसाधन प्रबन्धन, परियोजना (JICA), देहरादून।
3. निदेशक, कृषि, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, उद्यान, उत्तराखण्ड।
5. मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड देहरादून, उत्तराखण्ड।
6. निदेशक, खादी एवं ग्रामोद्योग परिसंघ, देहरादून।
7. महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, 2 कैन्ट रोड़ देहरादून (राज्य स्तरीय बैंकर्स कमेटी कन्वेनर बैंक)।
8. वरिष्ठ कार्यक्रम प्रबन्धक, उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद, देहरादून।

29/7
(विजय कुमार)
मुख्य परियोजना निदेशक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)

पत्रांक 65 /PSC-5 /2015–16 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि :– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. Executive Director, Appropriate Technology India(ATI) Plot no- 15, Mohabbewala, Industrial Area, Dehradun.
2. Secretary, Shri Bhuvneshwari Mahila Ashram, Post Anjanisain, Tehri Garhwal- 249121, Uttarakhand.
3. Chairman, Asian Society for Entrepreneurship Education & Development (ASEED) B-9/6238, Vasant Kunj, New Delhi – 110070.
4. President, Gramin Samaj Kalyan Samiti (GRASS) Talla Chinakhan, Almora (U.K.) -26360.
5. Chief Executive, IFFDC Ltd. FMDI, IFFCO Colony, Sector- 12 B, Gurgaon- 122001.
6. Secretary, Himalayan Action Research Centre (HARC) 744, Indira Nagar, Phase-II Dehradun-248006.
7. Director, Centre for Business & Enterpreurial Development Society (CBED) 14, Indira Nagar, P.O. New Forest,Dehradun-248006.

29/7/15
(विजय कुमार)
मुख्य परियोजना निदेशक,
केन्द्रीय परियोजना समन्वयन इकाई,
एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (ILSP)